तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 39/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
28.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (शंकरलाल पुत्र रतनलालजी अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विनोद किराणा स्टोर, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या–2 (कान्तिलाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, माँ सरस्वती भवन, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–3 (विक्रान्त कनूभाई शाह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईर, फर्म हर्ष मार्केटिंग, C/o 512-513, Shreeji Plaza, Opp. Kalash Party Plot, Nr. Laxmi Sky City, SP Ring Road, Ahmedabad (guj.)) उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.8.2023 को फर्म विनोद किराणा स्टोर, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शंकरलाल पुत्र रतनलाल जी अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2191 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2360/Act/2023/2510 दिनांक 21.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28.5.2024 को प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अनुरोध किया कि दिनांक 27.8.2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा घी (गोपी श्री ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, उन्होनें पैकिंग अवस्था में ही उक्त घी (गोपी श्री ब्राण्ड) को जरिये बिल क्रय किया एवं पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया गया है। हमारे द्वारा घी (गोपी श्री ब्राण्ड) में कोई मिलावट नही की गई है, इसलिये जवाब को रेकर्ड लेकर हमारें विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह अनुरोध किया कि मेरी हर्ष मार्केटिंग कम्पनी में मेरे द्वारा गोपी श्री घी का उत्पादन किया जाता है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.8.2023 को घी (गोपी श्री) का नमूना लिया था, इस ......लगातार	

न्याय. अधि. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 39/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
	घी को बनाने के लिये बटर और क्रीम की खरीद की व गर्म करके घी बनाते है। मेरे द्वारा घी में कोई मिलावट नही की गई है व घी जांच में मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही पाया गया है। ऐसी गलती दुबारा नही करुंगा। मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स लिया हुआ है व सभी शर्तो का पालन करते है। यह मेरी पहली गलती है, इसलिये जवाब को लेकर पर लेकर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 27.8.2023 को प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र रतनलाल जी अग्रवाल की प्रापेराईटरी फर्म विनोद किराणा स्टोर, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र रतनलाल जी अग्रवाल से विनोद किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के 10 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये गये एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता शंकरलाल व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये एवं इन लेबलों को प्रत्येक नमूना जार पर नियमानुसार चिपकाया तथा खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के चारों नमूना जारों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता शंकरलाल व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.8.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:46 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला बाल... सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
	अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 27.8.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म विनोद किराणा स्टोर, सांतपुर में प्रतिवादी विक्रेता शंकरलाल पुत्र रतनलाल जी अग्रवाल से खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2191 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./2360/Act/2023/2510 दिनांक 21.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र रतनलाल जी अग्रवाल की प्रोपराईटरी फर्म विनोद किराणा स्टोर, सांतपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के पैक्ड जारों को फर्म श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, मां सरस्वती भवन, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ से जरिये बिल क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी संख्या–2 (कान्तिलाल अग्रवाल) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या–2 (कान्तिलाल अग्रवाल) की फर्म श्याम ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के पैकड जारों को फर्म हर्ष मार्केटिंग से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या–3 (विक्रान्त कनूभाई शाह) की प्रोपराईटरी फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विरुद्ध प्रतिवादीगण अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र रतनलालजी अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विनोद किराणा स्टोर, सांतपुर, तहसील आबूरोड़, जिला– ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, मॉ सरस्वती भवन, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) तथा प्रतिवादी विक्रान्त कनूभाई शाह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म हर्ष मार्केटिंग, C/o 512-513, Shreeji Plaza, opp.kalash Party Plot, Nr. Laxmi Sky City, SP Ring Road, Ahmedabad (guj.) पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.7..2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:46 IST
Reason: SelfAttested